संख्या-3/2015/1407/78-2-2014-34आई.टी./2010

प्रेषक,

जीवेश नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
   लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर कानपुर, झांसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, सहारनपुर
   उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी
   इलाहाबाद, औरेया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, ज्योतिबाफूले नगर, कन्नौज, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शामली, सिद्वार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2014**

विषयः जनपद स्तर पर जन सेवा केन्द्र योजना के संचालन के लिये डिस्ट्रिक्ट्स सर्विस प्रोवाईडर (डी.एस.पी.) का चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको विदित है कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिये जन सेवा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के गृह स्थान के निकट ही उपलब्ध कराने का उपक्रम प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्य हेतु 3 प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं यथा मे. श्रेयी सहज ई-विलेज लि0, मे. सीएमएस कम्प्यूटर्स लि. एवं मे. वयम टेक्नोलॉजीज लि. का चयन पूर्व में निम्न तालिकानुसार किया गया था तथा तालिका में वर्णित जनपदों में स्थापित जनसेवा केन्द्रों का परिचालन इन तीन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

सर्विस सेन्टर एजेन्सी	**संबंधित मण्डल**	**कुल आवंटित जनपद**	**आवंटित जनपदों के नाम**
एसआरईआई	लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, इलाहाबाद,	24	लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, महाराजगंज,

	मिर्जापुर		देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चन्दौली, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर।
सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स	कानपुर, झांसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, सहारनपुर	21	कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरेया, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, जे.पी.नगर, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, सम्भल।
वयम टेक्नोलॉजीज लि.	फैज़ाबाद, आज़मगढ़, बरेली, देवीपाटन, आगरा, अलीगढ, मेरठ	30	फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, बदायूँ, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, काशीराम नगर, हाथरस, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, पंचशील नगर, बागपत।

उपर्युक्त तीन संस्थाओं में से दो संस्थाओं यथा मे. श्रेयी सहज ई-विलेज लि0, एवं मे. सीएमएस कम्प्यूटर्स लि. से किये गये अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं तीसरी संस्था यथा मे. वयम टेक्नालाजी लि. के अनुबन्ध की अवधि नवम्बर, 2015 तक शेष है जिसके उपरान्त उस संस्था द्वारा पोषित जनपदों में भी नयी संस्था का चयन किया जायेगा। उपरोक्त जिन जनपदों में अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो चुकी है उन जनपदों में इस कार्य हेतु नयी संस्था का चयन किया जाना है जिसके लिये उ0प्र0 सरकार की मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिया जा चुका है। **इस चयन के कार्य को अब प्रदेश स्तर पर न कर अपितु जनपद स्तर पर किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है**, जिसके लिये सम्बन्धित स्तर पर निविदा के आधार पर नयी संस्था का चयन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित जनपदों में मे. श्रेयी सहज ई-विलेज लि., एवं मे. सीएमएस कम्प्यूटर्स लि. को आवंटित जनपदों में इस चयन के कार्य को सम्पादित किया जाना है।

इस कार्य में जनपदों में स्थित डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) द्वारा निविदा के आधार पर नयी संस्था का चयन किया जायेगा। निविदा का ड्राफ्ट प्रारूप (संलग्नक-क) के रूप में इस शासनादेश के साथ संलग्न है। निविदा का कार्य डी.ई.जी.एस. द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में जिलाधिकारी के अतिरिक्त ए.डी.एम., राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, एन.आई.सी. के डी.आई.ओ. तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एवं जिलाधिकारी के विवेकानुसार अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है।
सम्बन्धित जनपदों द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित तिथियों एवं समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है एवं निविदा के प्रारूप के अनुसार अपने जनपद में चयनित संस्था की सम्बन्धित जानकारी जिसमें निविदा प्रक्रिया में शामिल सभी संस्थाओं द्वारा दाखिल किये गये प्रपत्रों के आधार पर उनके द्वारा प्राप्त टेक्निकल स्कोर एवं उनके फाइनेन्शियल ईवैल्यूएशन डाक्यूमेन्ट्स की प्रति (संलग्नक-ख) के अनुसार राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 को समय-सीमा के अन्दर ही प्रेषित करनी होगी। सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा निविदा में दी गयी अधिकतम 20 जनपदों के आवंटन की प्रक्रिया निविदा में दी गयी प्रक्रियानुसार सम्पन्न की जायेगी। इस आवंटन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सी.ई.जी. द्वारा समस्त जनपदों की डी.ई.जी.एस. को उनके जनपद में चयनित संस्था की लिखित सूचना प्रदान की जायेगी।

समस्त सम्बन्धित जनपदों में निविदा की प्रक्रिया 01 जनवरी, 2015 को प्रारम्भ की जायेगी एवं जनपद में लोकप्रिय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा निविदा का प्रकाशन किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य समय-सीमायें निविदा के प्रारूप में दी गयी है जिनका अनुपालन किया जाना है:-

क्रम संख्या	**सम्पादित किया जाने वाला कार्य**	**अंतिम तिथि**
1	निविदा प्रकाशन	T
2	आवेदकों द्वारा सीके पास प्रायरिटी .जी.ई. लिस्ट भेजना	T+21
3	तकनीकी निविदा का खोला जाना	T+23
4	वित्तीय निविदा का खोला जाना	T+30
5	डीके तकनीकी .जी.ई.द्वारा सी .एस.जी.ई. एवं वित्तीय निविदाओं सेसम्बन्धित स्कोर शीट भेजना	T+35
6	सीद्वारा प्रायरिटी लिस्ट के आधार .जी.ई.	T+45

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	के नाम की .पी.एस.पर जनपदों में डी घोषणा करना	

निविदा का प्रारूप एवं संलग्नक सी.ई.जी. की वेबसाईट- ceg.up.nic.in अथवा आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वेबसाईट infotech.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी हेतु श्री संजय शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, एस.ई.एम.टी. मोबाइल नंम्बर- 9161677333 ई-मेल आई.डी. sanjay.sharma@semt.gov.in तथा ceglko.up@gmail.com से सम्पर्क किया जा सकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः3/2015/1407(1)/78-2-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फार ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान विल्डिंग लखनऊ।
2. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
3. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. प्रियदर्शी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।